न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/178

1. सुगन कंवर पुत्री श्री रतन सिंह जाति राजपूत बालिग निवासी ग्राम देईखेडा ।
2. रेशम कंवर पुत्री श्री रतन सिंह राजपूत बालिग निवासी रावत भाटा ।
3. नन्दसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह माता का नाम श्रीमती समद कंवर पुत्री श्री रतन सिंह जाति राजपूत बालिग निवासी ग्राम खिडकी तहसील निवाई ।
4. कमलेश पुत्री श्री भंवर सिंह जी माता का नाम समद कंवर जाति राजपूत रावतभाटा ।
5. रघुवीर सिंह आत्मज श्री मदन सिंह जाति राजपूत बालिग निवासी रावतभाटा ।
6. बृजराजसिंह पुत्री श्री किशन सिंह जाति राजपूत बालिग निवासी देई खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दसिंह आत्मज श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी खिडकी तहसील निवाई जिला टोंक।
2. कमलेश कंवर पत्नी सूरजसिंह पुत्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी जुमवा रामगढ जिला जयुपर ।
3. बृजराजसिंह आत्मज किशन सिंह जाति राजपूत निवासी देहीखेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. रघुवीर सिंह आत्मज मदन सिंह जाति राजपूत निवासी बडौलिया रावतभाटा जिला चितौडगढ ।
5. छीतर सिंह आत्मज केसर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छपावदा तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. गोविन्द सिंह आत्मज केसर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छपावदा तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. जगदीश सिंह आत्म्ज केसरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छपावदा तहसील एवं जिला बून्दी ।
8. लक्ष्मण सिंह आत्मज केसरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छपावदा तहसील एवं जिला बून्दी ।
9. हंस कंवर पत्नी नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छपावदा तहसील एवं जिला बून्दी ।
10. भंवर बाई पत्नी भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छपावदा तहसील एवं जिला बून्दी।
11. जतन कंवर पत्नी सराजसियंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छपावदा तहसील एवं जिला बून्दी ।
12. जसराजसिंह आत्मज भैरू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छपावदा तहसील एवं जिला बून्दी ।
13. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् उप पंजीयक महोदय तालेडा जिला बून्दी ।
14. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मदन लाल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम छपावदा तहसील एवं जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 619/114 रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण के सहखातेदारी में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम छपावदा में कुल 04 किता की 12 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है जो अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है । रतनसिंह जी को कोई पुत्र संतान नहीं होने से उन्होंने प्रार्थी नन्द सिंह को 07 साल की उम्र में जाति रिवाज के अनुसार गोद पुत्र ले लिया था । रतन सिंह के स्वर्गवास के पश्चात् से प्रार्थी उनके हिस्से की आराजी 1/2 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । उक्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज होने से अप्रार्थीगण के मन में बदनियिति आ गई है और वह उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहते हैं तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लग गये हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे एवं प्रार्थी को उसके कब्जे से बदेखल नहीं करें और दौराने वाद उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान नहीं करे और न ही किसी अन्य प्रकार से अन्तरण करे उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.06.2013 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.06.2013 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट क्रम 1 , 2 व समद कंवर उर्फ समन कंवर का नाम खाते में अंकित हो रहा था रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध कोई प्रमाण नहीं होते हुए भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गई जो किसी भी प्रकार से कानून सम्मन नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय

आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों का कोई ध्यान नहीं रखा है, द्वितीय रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा की कार्यवाही में मूल वसहयीनामा एवं मूल अन्य दस्तावेजात पेश नहीं किये थे और इस ओर विशेष रूप से ध्यान भी दिलाया गया था कि न्यायालय फोटो स्टेट प्रतियों के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकती । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । रिकॉर्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने गोदपुत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे रेस्पोडेन्ट के कथनों का खण्डन होता हो । प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में होना साबित था और सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2013 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं को गोदपुत्र होना बताते हुए वादग्रस्त आराजी में अपना हक हिस्सा बताते हुए प्रस्तुत किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अप्रार्थी अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया है ।

10. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर केवल यही देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने स्वयं को गोद पुत्र बताते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में होना मानते हुए अप्रार्थीगण अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2013 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा